हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017 **Dated** 3-4-2018 **Shimla-171002, the**

Order

Sub :- Diversion of 0.7941 hectares of forest land in favour of AD Hydro Power Ltd. Transmission Line for the rerouting & shifting of AD Hydro 220 KVTransmission Line for NHAI 4 Lane road project in village of Dehvi and Gamohu in Sundernagar, within the jurisdiction of Suket Forest Division, District Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तगर्त जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B-HP/04/110/2017/2166** **दिनांक 14.03.18** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.7941** हैक्टेयर वन भूमि को **AD Hydro Power Ltd.** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

3 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार 1350 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यतः औषधीय पौधे) पौधरोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4 Below each conductor or conductor bundle, 3m width clearance would be permitted for stringing purpose within the approved RoW.

5 The Trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer, wherever necessary, to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.

6 During construction of transmission line, pollarding /pruning of trees located outside the above width of the strips, whose branches/parts infringe with conductor stringing, shall be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer.

7 Pruning of trees for taking construction/stringing equipments through existing approach/access routes in forest areas shall also be permitted to the extent necessary, as may be decided by local forest officer. Construction of new approach/access route will however, require prior approval under the Act.

8 In the remaining width of right of way trees will be felled or lopped within the RoW to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining minimum clearance between conductor and trees as follows: 4.0 m for 220 KV.

contd/2

S(FCA) 5/4 APCCF (FCA) 4/4 PCCF 4/4/18

9 In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut except those minimum required to be cut for stringing of conductors.

10 वन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी वन क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए दिशानिर्देश का पूर्णतया पालन किया जाए।

11 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

13 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्राकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

14 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

15 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 135 trees +122 saplings से अधिक न हो।

16 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Pillar no., Forward तथा Back bearing तथा distance between pillars भी अंकित किया जाएगा।

17 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

18 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मवारी होगी।

19 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

20 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Mandi, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Contd./3

Endst. FFE-B-F(2)-2/2017 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 3-4-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Mandi Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Suket Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. AD Hydro Power Ltd.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 3-4-2018
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.